आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05.08.2022	विविध अपील वाद सं0 10/2014–15	

विविध अपील वाद सं0 10/2014–15

जसमुदीन अंसारी प्रति अंचल अधिकारी, भवनाथपुर

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपरथापित। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विविध वाद सं0 02/2014–15 में दिनांक 22.09.2014 को अंचल अधिकारी, भवनाथपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विविध अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र समय–सीमा के बाद दायर किया गया है। विलम्ब को दूर करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। तथा अंचल अधिकारी भवनाथपुर से मूल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन का मांग किया गया। अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 ग्राम अरसली टोला चौरासी के खाता संख्या 256 प्लॉट संख्या 2263 में रकबा 20.25 एकड़ भूमि अपीलार्थी के पिता वाजुदीन अंसारी को भूतपूर्व जमीन्दार नागेन्द्र नाथ शाही के द्वारा बन्दोबस्ती परवाना से जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व प्राप्त हुआ है। जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व तक वाजुदीन अंसारी भूतपूर्व जमीन्दार को लगान देकर लगान रसीद प्राप्त करते रहे। जमीन्दारी उन्मूलन के समय क्षतिपूर्ति केश नम्बर 08/1952–53 में भूतपूर्व जमीन्दार नागेन्द्र नाथ शाही के द्वारा सरकार को समर्पित रिर्टन में वाजुदीन मियां पिता रामटहल मियां को अपने रैयत के रूप में दर्शाया गया है, तथा खाता संख्या 256 प्लॉट संख्या 2263 रकबा 20.25 एकड भूमि वाजुदीन मियां के दखल कब्जा में दर्शाया गया है। वाजुदीन मियां अनपढ एवं गरीब होने के कारण जमीन्दारी उन्मूलन के बाद उक्त वर्णित भूमि का लगान निर्धारण नही करा सके लेकिन आजीवन प्लॉट संख्या 2263 रकबा 20.25 एकड भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल कब्जा एवं जोत कोड करते रहें। वाजुदीन मियां के मरणोपरान्त उनके तीन पुत्र अब्दुल क्युम अंसारी, जसमुदीन अंसारी, जाकीर अली के बीच आपसी बटंवारा में प्रत्येक भाई को रकबा 6.75 एकड भूमि प्राप्त हुआ। अब्दुल क्युम अंसारी एवं जाकीर अंसारी के द्वारा अपने–अपने हिस्सा के भूमि का लगान निर्धारण वर्ष 2006–2007 में करा लिया गया है,

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	अपीलार्थी के द्वारा उसी आधार पर जब अंचल अधिकारी महोदय के समक्ष जब लगान निर्धारण हेतु आवेदन पत्र दिया गया तब उसे अस्वीकृत कर दिया गया। 02 अपीलार्थी जसमुदीन अंसारी पिता वाजुदीन अंसारी को भी अलग से बन्दोबस्ती परवाना के द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार नागेन्द्र नाथ शाही से ग्राम अरसली टोला चौरासी के खाता संख्या 256 प्लॉट संख्या 2337 में रकबा 18.41 एकड भूमि जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व प्राप्त हुआ था। भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा रिर्टन में जसमुदीन अंसारी को अपना रैयत दर्शाते हुये क्षतिपूर्ति वाद संख्या 03/1952–53 में रिर्टन दिया गया है। जसमुदीन मियां अनपढ एवं गरीब हाने के कारण जमीन्दारी उन्मूलन के बाद उक्त भूमि का लगान निर्धारण नही करा सके। लेकिन जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व से लेकर आज तक प्लॉट संख्या 2337 रकबा 18.41 एकड भूमि का जोत कोड करते आ रहे है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त दोनों प्लॉट संख्या 2263, 2337 के भूमि को कोडकर काफी मेहनत एवं रूपया खर्च कर आबाद करके खेती योग्य भूमि के रूप में परिणत किया गया है तथा धान के खेत के रूप में आबाद किया गया है। 03 अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 04.10.2014 को प्लॉट संख्या 2263, 2337 के अपने दखल कब्जा के भूमि का लगान निर्धारण करने हेतु विद्वान अंचल अधिकारी भवनाथपुर के समक्ष आवेदन पत्र दायर किया गया जिस पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन का मॉग किया गया। हल्का कर्मचारी ने अपने जॉच में स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न रिर्टन की जॉच कलेक्टरी आफिस पलामू स्थित अभिलेखागार से कराकर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकता है। विद्वान अंचल अधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन में वर्णित बातों को अनदेखी करते हुये आवेदित भूमि को वन विभाग की भूमि बता कर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया है। विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा स्थल जॉच किये बिना ही अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है। सबसे आश्चर्य जनक तथ्य यह है कि आवेदक के द्वारा दिनांक 04.10.2014 को आवेदन पत्र विद्वान अंचल अधिकारी के समक्ष दायर किया गया है जबकि आदेश फलक में दिनांक 28.08.2014 को ही आवेदन पत्र दायर करने की बात का उल्लेख किया गया है तथा दिनांक 22.09.2014 को अस्वीकृत कर दिया गया है इस प्रकार पूरा अभिलेख ही त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थी विद्वान अंचलाधिकारी के द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा यह अपील वाद दायर किया गया है।	

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

04 विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश अवैध अनावश्यक एवं सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अंचल अधिकारी ने स्थल जॉच किये बिना ही आवेदित भूमि को वनभूमि बताते हुए आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत् भूमि वन भूमि से बाहर है तथा उस पर आवेदक के द्वारा जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व से लेकर आज तक खेती किया जाता है। प्लॉट संख्या 2337 पर आवेदक का आवासीय मकान भी अवस्थित है।

05 विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा क्षतिपूर्ति वाद संख्या 03/1952-53 में दाखिल रिर्टन की प्रमाणित प्रतिलिपि को संदिग्ध बताया गया है, जबकि जसमुदीन मियां एवं वाजुदीन मियां दोनो के नाम रिर्टन की प्रमाणित प्रति अभिलेखागार पलामू से निर्गत किया गया है, जिसे बिना सत्यापन कराये ही संदिग्ध करार देना अंचल अधिकारी के कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लगाता है।

06 वाजुदीन मियां के दो पुत्र अब्दुल क्युम अंसारी एवं जाकिर अली के नाम से प्लॉट संख्या 2263 में रकबा 6.75 एवं रकबा 6.75 एकड भूमि का लगान निर्धारण अंचल अधिकारी भवनाथपुर के अनुशंसा के आधार पर उपसमाहर्ता नगर उंटारी के द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर रिर्टन को त्रुटिपूर्ण बताकर आवेदन पत्र को अस्वीकृत करना विधि सम्मत नहीं है।

07 विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा रंचमात्र भी अपने विवेक एवं अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी भवनाथपुर के द्वारा पारित दिनांक 22.09.2014 के आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है।

साथ में यह भी कथन है कि विद्वान न्यायालय के द्वारा अंचलाधिकारी भवनाथपुर से स्थल जॉच कर प्रतिवेदन की मांग किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। विद्वान अचंलाधिकारी बिना स्थल जॉच किये प्रतिवेदन समर्पित किये है जो पूर्णतः अविश्वसनीय एवं अपूर्ण है।

सक्षम पदाधिकारी से पुनः स्थल जॉच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त करना अतिआवश्यक है। अपीलार्थी के द्वारा आपत्ति पत्र स्वीकार कर अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

अंचल अधिकारी भवनाथपुर से प्राप्त विविध वाद संख्या 02/2014–15 का मुल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी भवनाथपुर के द्वारा पत्रांक 449 दिनांक 25.11.2016 एवं पत्रांक 36 दिनांक 18.01.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि

01 ग्राम अरसली के खाता संख्या 256 प्लॉट संख्या 2263 रकबा 20.25 एकड भूमि में से रकबा 6.75 एकड भूमि के विरूद्व जमाबन्दी रदद पर अपील दायर किया गया है। अपील में दायर प्रश्नगत् भूमि वन विभाग की भूमि है।

02 गत सर्वे खतियान के अनुसार ग्राम अरसली का खाता संख्या 256 प्लॉट संख्या 2263, 2337 रकबा क्रमशः 220.50 एकड एवं 305.00 एकड भूमि गैरमजरूआ मालिक खाता कि भूमि है। जो किस्म जंगल झाडी दर्ज है

03 रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि का नया खाता संख्या 863 प्लॉट संख्या 6518, 6527, 6530, 6487, 6493, 6488 एवं अन्य बना है जो वन विभाग झारखण्ड सरकार के नाम से खाता दर्ज है।

04 अपीलार्थी के द्वारा जमीन्दारी हुकुमनामा एवं रिर्टन के आधार पर खाता संख्या 256 नया प्लॉट संख्या 2263, 2237 रकबा 25.16 एकड भूमि पर अपना दावा करते है। स्थल जॉच से विषयगत दोनों खेसरा में अपीलार्थी द्वारा दावा की गई भूमि वन सीमा के अन्तर्गत अवस्थित है।

05 स्थानीय सूचना के अनुसार विषयगत भूमि पर न्यायालय में स्वत्व वाद भी चला है।

राजस्व कागजात एवं स्थल जॉच से स्पष्ट होता है कि विषयगत खेसरा में अपीलार्थी द्वारा दावा की गयी भूमि वन विभाग की है तथा वन विभाग के अन्दर अवस्थित है। जमीन्दारी उन्मूलन के काफी लम्बी अवधि के उपरान्त लगभग 50–55 वर्ष बाद प्रस्तुत करने के कारण हुकुमनामा एवं रिर्टन की वैधता अपने आप में संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंचल अधिकारी भवनाथपुर के द्वारा दाखिल कागजात निम्नप्रकार है।

01 ट्रेस नक्शा .... 1 फर्द

02 नक्शा की छायाप्रति .... 4 फर्द

03 हाल सर्वे खतियान के ऑनलाईन प्रति .... 12 फर्द दोहरी पृष्ट

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र, संलग्न दस्तावेज तथा अंचल अधिकारी भवनाथपुर से प्राप्त मूल अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि गत सर्वे के खतियान गैरमजरूआ मालिक खाते की है जमीन किस्म जंगल झाड़ी है। प्रश्नगत भूमि का हाल सर्वे में वन विभाग झारखण्ड सरकार के नाम से खतियान बना है। जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 15/ल0 3 नीति 27/97, 914/रा0, दिनांक 09.12.1998 एवं अंचल अधिकारी भवनाथपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के विविध अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, भवनाथपुर को अनुपालनार्थ हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। ह0/- 05/VIII भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। ह0/- 05/VIII भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।	

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.15 11:02:17 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner